राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / दिशा निर्देश / 2017–18 / 6299 - 6506 दिनांक : 5/06/2017

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी कोटा
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय :– **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध कराये गये सीड ड्रेसिंग ड्रम द्वारा वैज्ञानिक विधि से शत–प्रतिशत बीज उपचार कराये जाने हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017–18**

फसलों में वैज्ञानिक ढंग से बीज उपचार करने हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम एक प्रभावी उपकरण है जिससे बीजों पर समान मात्रा में पौध संरक्षण रसायनों की कोटिंग की जा सकती है। इस उद्देश्य से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत / सुदूर स्थित गांवों के लिए एक–एक सीड ड्रेसिंग ड्रम कृषि पर्यवेक्षकों की देखरेख में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 व 2013–14 में निःशुल्क उपलब्ध कराये गये थे। अतः कृषकों द्वारा सीड ड्रेसिंग ड्रमों का उपयोग अधिकाधिक हो एवं बीज उपचार के महत्व के सम्बन्ध में कृषक जागरूक हो। अतः अभियान चलाकर प्रचार–प्रसार कर किसानों को बुला–बुलाकर बीजोपचार करावें। अन्ततः अंतिम उद्देश्य यही हो कि वर्ष 2017–18 में यथा संभव समस्त बुवाई उपचारित बीज से ही हो, इसके लिए दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

संलग्नः– दिशा निर्देश

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–2 / दिशा निर्देश / 2017–18 / 6299-6506 दिनांक : 5/06/2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय / माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर .... ।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार / आदान / अनु. / एनएमओओपी / समन्वयक / उद्यान) मु. ।
8. उप सचिव, किसान आयोग, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) .... ।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना / आदान / पौध संरक्षण / गु. नि. / जउप्र / शस्य एटीसी / प्र. एवं मू. / विस्तार / रसायन) / उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार, चारा विकास / सांख्यिकी) को नॉडल ऑफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
11. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद .... ।
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .... ।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. आरक्षी पंजिका।

5.6.17

(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

कृषकों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे स्वयं के बीज (Farm Saved Seed) के बीजोपचार हेतु दिशा निर्देश :

जैसा कि सर्व विदित है कि फसलों में लगने वाली दो तिहाई बीमारियां भूमि/बीज जनित होती है। भूमि/बीज जनित रोगों की सघनता, एकल खेती एवं सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। ग्रसित क्षेत्रों में भूमि/बीज जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए बीज उपचार प्रभावी माध्यम है। यदि फसलों में बीज उपचार कार्य नहीं किया जाता है, तो लगभग 08–10 प्रतिशत उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। जैसे जन्म के पश्चात् शिशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण (वेक्सीनेशन) किया जाता है उसी प्रकार बीज़ों को भी बुवाई से पूर्व उपचारित किया जाए तो फसलों को उनमें लगने वाले कीड़े/बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने हेतु आवश्यक है कि फसलों में कीड़े/बीमारियों का प्रकोप नहीं हो अथवा प्रकोप होने की स्थिति में उनका समय पर नियंत्रण किया जावे। फसलों में कीड़े/बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो इसलिए भारत सरकार द्वारा पिछले कई वर्षो से शत प्रतिशत बीज उपचार अभियान चलाया जा रहा है।

फसलों में वैज्ञानिक ढंग से बीज उपचार करने हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम एक प्रभावी उपकरण है जिससे बीज सही तरीके से उपचारित किये जा सकते हैं। बीजों पर समान मात्रा में पौध संरक्षण रसायनों की कोटिंग करने के उद्देश्य से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं सुदूर स्थित बड़े ग्रामों में एक–एक सीड ड्रेसिंग ड्रम कृषि पर्यवेक्षकों की देखरेख में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये है। अतः कृषकों द्वारा सीड ड्रेसिंग ड्रमों का उपयोग अधिकाधिक करने के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

(1) उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) होंगे एवं सहायक निदेशक, कृषि (पौ.सं.) खण्ड सह नोडल अधिकारी होगें।

(2) जिला स्तर पर उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) सह नोडल अधिकारी होगें।

(3) प्रशिक्षणों/कृषक गोष्ठियों/फील्ड विजिट के दौरान कृषि पर्यवेक्षक वैज्ञानिक विधि से बीज उपचार करने हेतु सीड ड्रेसिंग ड्रम उपयोग करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें।

(4) कृषक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आकर बीज उपचार करेगें जिसका कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(5) ट्राईकोडरमा, फफूंदनाशी तथा बीज उपचार हेतु आवश्यक अन्य पौध संरक्षण रसायनों की व्यवस्था कृषक, कृषि पर्यवेक्षक की सिफारिश अनुसार स्वयं के स्तर से करेगें।

(6) यद्यपि विभाग का अन्ततः अंतिम उद्देश्य यही है कि यथा संभव समस्त बुवाई उपचारित बीज से ही हो फिर भी विभिन्न फसलों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्पेसीफिक भूमि/बीज जनित रोगों का प्रकोप पोकेट्स में होता है। अतः कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायतवार सघन क्षेत्र का चयन कर कृषकों के स्वयं के बीज (Farm saved seed) को उपचारित किये जाने हेतु प्राथमिकता से कृषकों का चयन करेंगे।

(7) बीज उपचारित फसल क्षेत्र का कन्ट्रोल प्लाट से तुलना भी की जाये।

(8) कृषि विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों एवं कृषक गोष्ठियों में बीज उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा कृषकों को उसके लाभ एवं प्रति हैक्टर लागत अथवा लागत–लाभ अनुपात के बारे में समझाया जाये। उपरोक्त कार्य हेतु साहित्य/फिल्म/स्थानीय समाचार–पत्र आदि की मदद ली जा सकती है। उपचारित एवं बिना उपचारित क्षेत्रों की वीडियो फिल्म बनाई जाये ताकि आगामी प्रशिक्षणों में काम में ली जा सके।

(09) खरीफ एवं रबी मौसम में फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार के महत्व एवं तरीके के बारे में जानकारी आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से कृषकों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए।

(10) विभिन्न फसलों में थायरम/कार्बेण्डाजिम/ट्राईकोडरमा तथा अन्य पौध संरक्षण रसायनों का उपयोग विभागीय सिफारिश के आधार पर बीज उपचार हेतु किया जाऐ। ट्राईकोडरमा से बीज उपचार विभागीय सिफारिश के साथ–साथ आई.सी.ए.आर. के संस्थानों/केन्द्रीय बायलोजिकल कन्ट्रोल प्रयोगशालाओं की सिफारिशों के अनुसार भी किया जा सकता है।

(11) कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा किये जा रहे कृषकों के बीज के उपचार का रजिस्टर संधारित किया जावेगा जिसमें कृषक का नाम–पता, फसल का नाम जिसका बीज उपचारित किया है, बीज की मात्रा, उपयोग में लिए गये रसायन की मात्रा व नाम, बीज उपचार का दिनांक एवं कृषक के हस्ताक्षर एवं Farm saved seed treatment का समस्त ब्यौरा अंकित किया जावेगा। समय–समय पर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कराये जा रहे बीज उपचार कार्य का सत्यापन संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) खण्ड, परियोजना निदेशक (आत्मा) /उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद/सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(12) आयुक्तालय की प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा बीज उपचार का मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण किया जायेगा।

(13) ग्राम पंचायतों पर उक्त उपकरण की देख–रेख/रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक की होगी।